



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 22 अप्रैल, 2020

बैशाख 2, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 608/79-वि-1-20-2(क)-7-2020

लखनऊ, 22 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2020) जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं।

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 1
सन् 2017 में नई
धारा 168क का
बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

“168क-(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की शक्ति अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं, अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

(2) इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए पद ‘अपरिहार्य घटना’ का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।”

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 608(2)/LXXIX-V-1-20-2(ka)-7-2020

Dated Lucknow, April 22, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 7 of 2020) promulgated by the Governor. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 7 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.

Short title and
commencement

2. After section 168 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Insertion of new section 168A in U.P. Act no. 1 of 2017

“168A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act the Government may on recommendations of the council, by notification extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

Power of Government to Extend Time in Special Circumstances

(2) The power of this section shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation—For the purpose of this section the expression ‘*force majeure*’ means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.”

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.